

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

27 FEB 2011

CHIEF
TREASURY OFFICER

25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 394868

(6)

विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 80,00,000/- रुपये एकड़ यानि 1,97,69,077.40/- रुपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत अंकन 83,62,320/- रुपये लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से अंकन 78,41,508/- रुपये (अठत्तर लाख इकतालीस हजार पांच सौ आठ रुपये मात्र) में तय किया है स्टाम्प सरकारी दर पर ही नियमानुसार अदा किया गया है।

Scandee

Galendra
जोशी

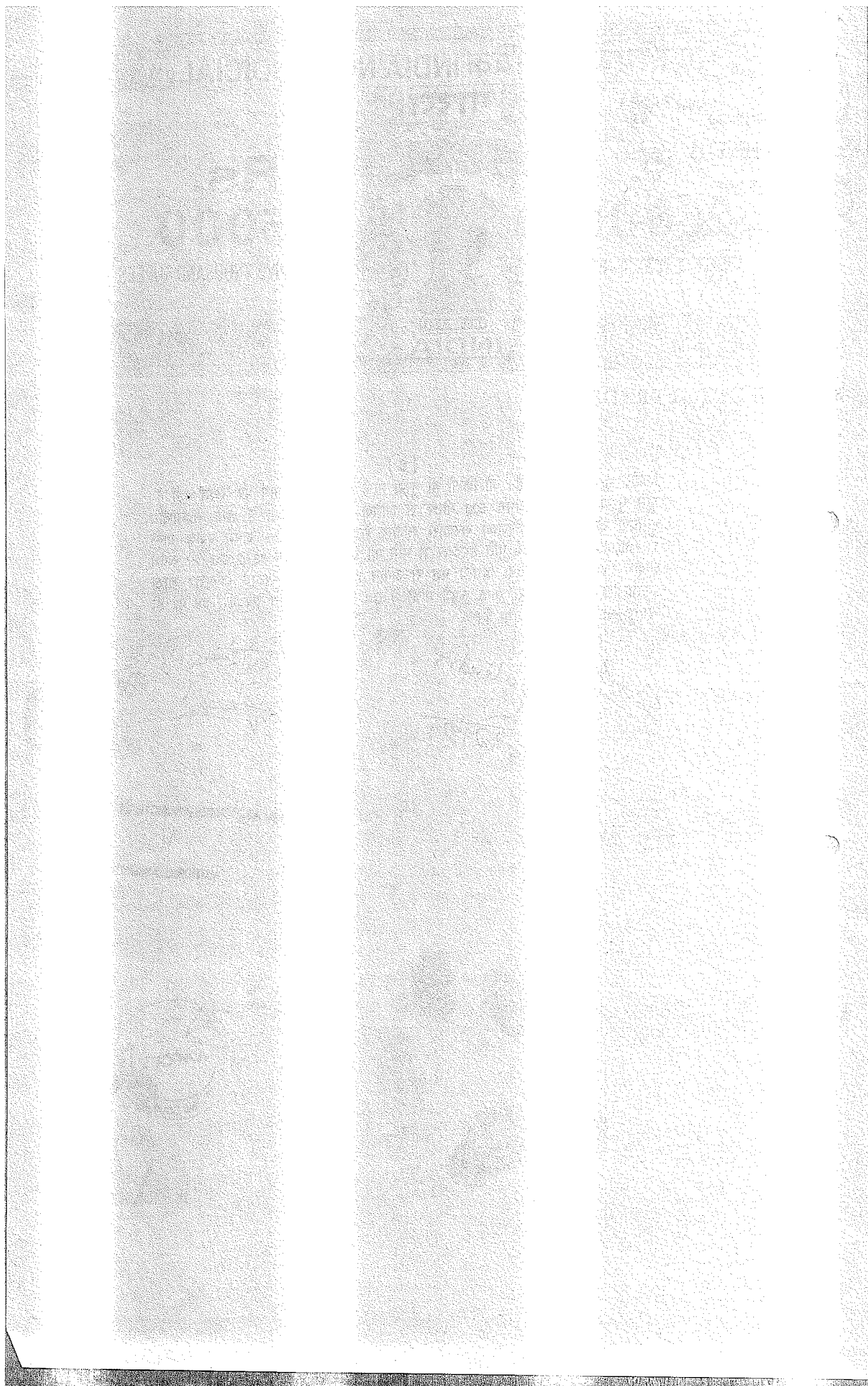
कि. जोशी

बि. रं. सिंह
कि. जोशी

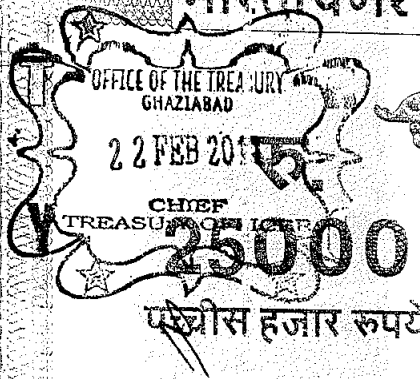
FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 094867

(7)

श्री संदीप व सतेन्द्र पुत्रगण नरेश एवं श्रीमती राजन पत्नी स्व० नरेश व नरेश व विजयपाल सिंह व बिरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० अमर सिंह व श्रीमती भोती पत्नी स्व० अमर सिंह व जोगेन्द्र सिंह यादव पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम शाहपुर बग्हेटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष विक्रेतागण ।

एवं

मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि० पंजीकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रहलाद सिंह चौधरी पुत्र स्व० श्री नाहर सिंह, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 (फरीक दोयम/क्रेता)। (कम्पनी का पेन नंबर AAACA2789D)

Sandeep

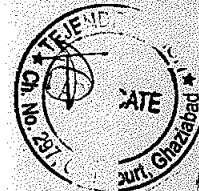
Satendra
नरेश

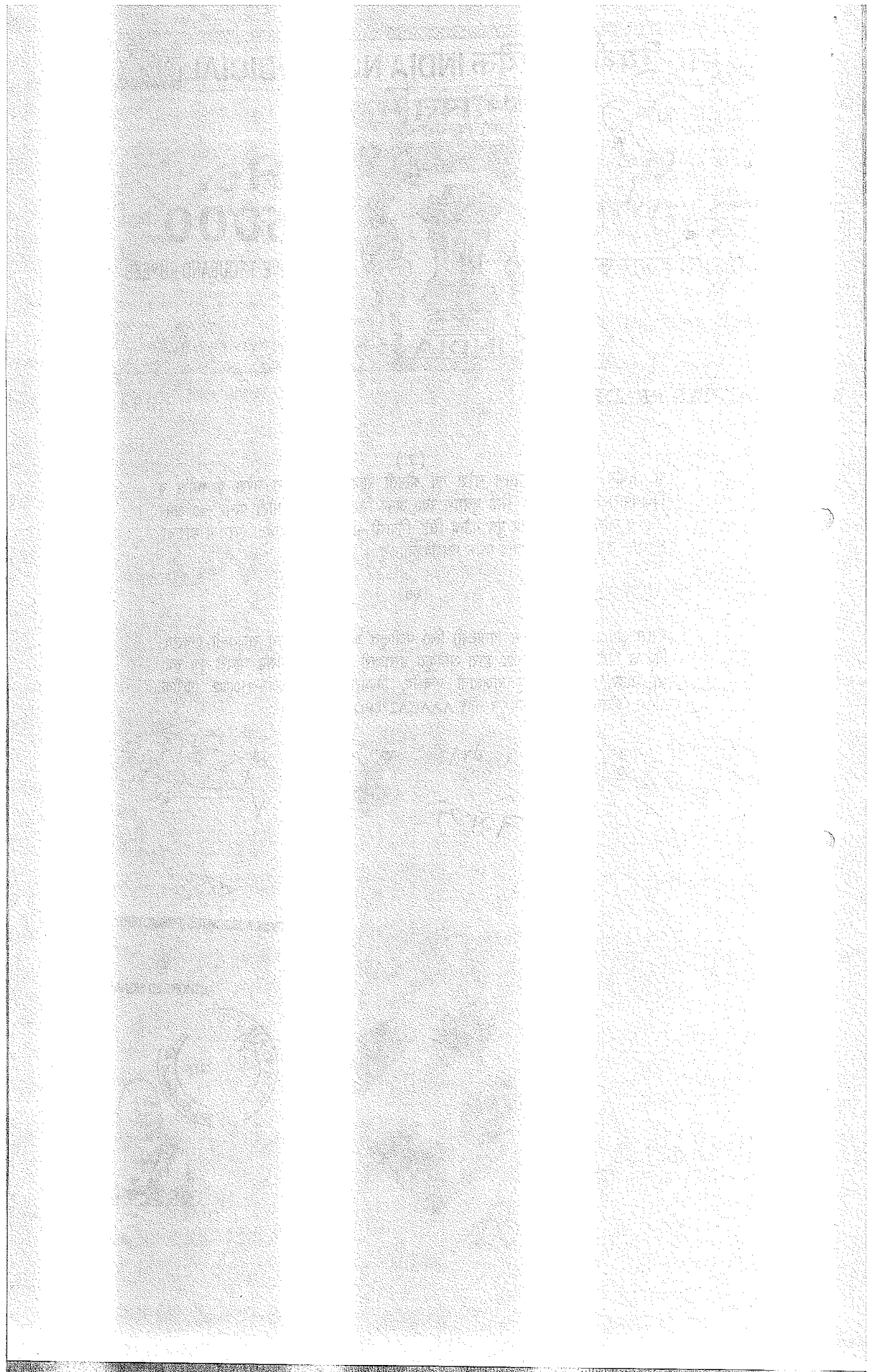
संजीवन

बिरेन्द्र सिंह
पुत्रगण

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

22 FEB 20

CHIEF
TREASURER OF THE

25000

पच्चीस हजार रुपये

भारत



INDIA

RS.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

B 074866

(8)

- 1- विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) हका सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है। यह भूमि इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के विकास हेतु क्रय की जा रही है जिसके लिये क्रेता के पास इन्टीग्रेटिड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस भी है तथा स्टाम्प शासनादेश संख्या 2835/8-1-09-68 विविध/09 दिनांक 11.08.2009, जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिये गये निर्णयानुसार तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 48/सी0आर0सी0/11 दिनांक 31.01.2011 के अनुसार स्टाम्प नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

Sandeep

Attorneys
293121

निष्ठावान् विद्वान्-द्विजन्तः श्री अर्जुन

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY

